एस. एस. सिद्धू और हरबंस लाल न्यायाधीशों के समक्ष

हरियाणा राज्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

जगतार सिंह, - *प्रतिवादी।*

1978 की आपराधिक अपील संख्या 602

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII) - *धारा* 13 (2) *और (5) और 16 (एल)* (ए) (आई) - खाद्य अपमिश्रण निवारण *नियम 1955* - नियम 7, 9 (जे), *17 और* 18 - *नियम 17* और 18 *जिसमें सील का नमूना और छाप अलग-अलग पैकेट में सार्वजनिक विश्लेषक को भेजने की आवश्यकता है* - क्या अनिवा र्य है - क्या अनिवार्य *है* - *पृथक प्रेषण का प्रमाण - विश्लेषक* की *रिपोर्ट जिसमें अलग-अलग रसीद का खुलासा किया गया* हो - बिना किसी अन्य साक्ष्य के ऐसी रिपोर्ट - *क्या पृथक प्रेषण का पर्याप्त प्रमाण - नियम* 9 (जे) - क्या धारा *13 (2)* से स्वतंत्र *है* - *अभियुक्त को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति प्रदान न करना या इस तरह की आपूर्ति में देरी - आरोपी के प्रति पूर्वग्रह - सीमा*

यह माना गया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 18 में विशिष्ट निर्देश का आशय और उद्देश्य कि सील की छाप नियम 17 में परिकल्पित नमूने वाले सीलबंद पैकेट से अलग से भेजी जानी है, विश्लेषण के उद्देश्य से लोक विश्लेषक द्वारा नमूने की प्राप्ति से पहले पारगमन में नमूने के साथ छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त करना है। यदि नमूना और मुहर की छाप एक ही पैकेट में सार्वजनिक विश्लेषक को भेजी जाती है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पैकेट को फिर से खोला जा सकता है और नमूना बदलने के बाद नए पैकेट को एक नई सील के साथ सील किया जा सकता है और सील की छाप हो सकती है।

इसे भी बदला जा सकता है। चूंकि दो नियमों का उद्देश्य मुकदमे से गुजर रहे आरोपी के हितों की रक्षा करना है, व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि कानून का उद्देश्य और इरादा निराश न हो। नियम 18 में अलग से मुहर की छाप भेजने पर जोर जानबूझकर और एक अच्छा उद्देश्य पूरा करने के लिए है। यह उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रावधानों को अनिवार्य के रूप में व्याख्या किया जाए। इन प्रावधानों का इस हद तक अनुपालन कि नमूना और सील की छाप अलग-अलग पैकेट में भेजी जानी चाहिए, अनिवार्य है।
(पैरा 4)

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 13 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट अधिनियम या भारतीय दंड संहिता की धारा 272 से 276 के तहत किसी भी कार्यवाही में बताए गए तथ्यों का सबूत होगी। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यदि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से पता चलता है कि सील की नमूना छाप सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा खाद्य निरीक्षक से नमूने के कंटेनर से अलग और स्वतंत्र रूप से प्राप्त की गई थी, तो यह नियम 17 और 18 के तहत परिकल्पित आवश्यकता के संबंध में पर्याप्त सबूत होगा। लोक विश्लेषक की ऐसी रिपोर्ट के अलावा, खाद्य निरीक्षक द्वारा अन्य स्वतंत्र साक्ष्य जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो यह दर्शाता है कि नियम 17 और 18 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने के लिए दो पैकेट अलग-अलग भेजे गए थे। लोक विश्लेषक से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी विशेष नमूने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करते समय दो पैकेटों की अलग-अलग प्राप्तियों के साथ-साथ उक्त प्रपत्र में उल्लिखित अन्य मामलों के संबंध में तथ्यों का सत्यापन करे। यह माना जाना चाहिए कि सार्वजनिक विश्लेषक ने नियमों के अनुसार काम किया और उसने कंटेनर पर सील के साथ उसके द्वारा प्राप्त नमूना छाप की तुलना की होगी।

(पैरा 5)

यह माना गया कि अधिनियम केप्रावधानों को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 23 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार, किसी भी नियम को अलग से और अधिनियम के प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से पढ़ा या व्याख्या नहीं किया जा सकता है। यदि किसी नियम का दायरा अधिनियम के दायरे और प्रावधानों से परे है, तो उसे अधिनियम के *दायरे से बाहर* माना जाएगा। नियम 9 के खंड (जे) को अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उसे दिए गए अधिकारों से स्वतंत्र अभियुक्त को अधिकार प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है। खाद्य निरीक्षक या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पर चाहे वह अधिनियम के नियम 9 (आई) या धारा 13 (2) के तहत आरोपी को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने के लिए डाला गया कर्तव्य अनिवार्य रूप से धारा 13 (2) के तहत गारंटीकृत अभियुक्त के अधिकार की रक्षा करने के लिए है, प्रयोगशाला से दूसरे नमूने का विश्लेषण करने के लिए। ऊपरी तौर पर, रिपोर्ट प्राप्त करने का आरोपी का अधिकार उच्च अधिकारी से नमूने का विश्लेषण करने के उसके मूल अधिकार के लिए सहायक है।

ताकि सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण में किसी भी दोष की सभी संभावना को समाप्त किया जा सके। (पैरा 15)।

माना जाता है कि चूंकि कानून का इरादा स्पष्ट रूप से दूसरे नमूने का विश्लेषण करने के आरोपी के अधिकार की रक्षा करना है, जब तक कि यह अधिकार निराश नहीं होता है और अभियुक्त इस अधिकार का लाभ उठाने की स्थिति में होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम के इस प्रावधान का पालन न करने से आरोपी को कोई पूर्वाग्रह होगा, हालांकि यह प्रकृति में काफी मामूली और तकनीकी हो सकता है। तथापि, यदि उसे रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अवस्था में प्रदान की जाती है जब दूसरा नमूना समय बीत जाने के कारण विघटित हो जाने की संभावना हो और वह प्रयोगशाला द्वारा उचित रूप से विश्लेषित किए जाने के लिए उपयुक्त स्थिति में न हो। रिपोर्ट उसे बिल्कुल भी नहीं दी गई है, यह माना जाना चाहिए कि आरोपी का बचाव पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। ऐसे मामले में, यह कोई मायने नहीं रखेगा, भले ही आरोपी ने दूसरे नमूने

को विश्लेषण के लिए भेजने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन न किया हो क्योंकि यह निरर्थक अभ्यास होगा। इस तरीके से प्रावधानों की व्याख्या करते समय, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि नियम 9 (जे) अनिवार्य नहीं है और पूरी तरह से निर्देशिका है ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके गैर-अनुपालन को हल्के में लिया जा सके। (पैरा 16)।

श्री पी पी छाबड़ा, उप-मंडल (न्यायिक) मजिस्ट्रेट, डबवाली के न्यायालय के दिनांक 31 *अक्तूबर,* 1977 के आदेश के आधार पर अपील, जिसमें *प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था।*

केडी सिंह, एडवोकेट, एजी *हरियाणा के लिए।*

प्रतिवादी के लिए *ए मोहनता, वकील।*

निर्णय

हरबंस लाल, **न्यायाधीश।**

(1) राज्य की ओर से यह अपील डबवाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट के 31 अक्तूबर, 1977 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत आरोपी-प्रतिवादी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, श्री राम राजी जिंदल, खाद्य निरीक्षक, डॉ. आरएस अग्निहोत्री के साथ 21 अगस्त, 1975 को सुबह लगभग 8.35 बजे आरोपी-प्रतिवादी की दुकान पर गए और बिक्री के लिए पड़े दस लीटर दूध में से 1.45 रुपये में 660 मिलीलीटर दूध खरीदा। इस दूध को तीन भागों में बांटा गया था।

समान भागों और तीन अलग-अलग बोतलों में डाल दिया। फॉर्मेलिन की 18 बूंदें मिलाने के बाद बोतलों को नियमों के अनुसार सील कर दिया गया। एक बोतल आरोपी को सौंप दी गई, दूसरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जमा कर दी गई, जिसे चंडीगढ़ में हरियाणा के लोक विश्लेषक को भेज दिया गया और तीसरी बोतल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास रही। नमूने में प्रयुक्त सील के नमूना छाप के साथ ज्ञापन की एक प्रति भी सार्वजनिक विश्लेषक को भेजी गई थी। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में मिलावट पाई गई, दूध में वसा की मात्रा 57 प्रतिशत, कम और दूध के ठोस पदार्थ वसा की कमी 45 प्रतिशत थी, जो निर्धारित न्यूनतम मानक से कम थी। उसी के मद्देनजर खाद्य निरीक्षक द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। साक्ष्य के तौर पर अभियोजन पक्ष ने खाद्य निरीक्षक राम राजी जिंदल को पीडब्ल्यू 1 और डॉ आरएस अग्निहोत्री को पीडब्ल्यू 2 के रूप में पेश किया। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट और दूध की खरीद आदि से संबंधित अन्य दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में पेश किए गए थे। आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में सभी आरोपों से इनकार किया और झूठे आरोप लगाए। बचाव पक्ष में, एक गवाह, विस्खा सिंह से डीडब्ल्यू 1 के रूप में पूछताछ की गई।

(2) ट्रायल कोर्ट ने माना कि एक स्वतंत्र गवाह डॉ आरएस अग्निहोत्री को अधिनियम की धारा 10 (7) के तहत आवश्यक रूप से शामिल किया गया था, और इस गवाह और खाद्य निरीक्षक के बयान के बीच कोई भौतिक विसंगति नहीं थी। हालांकि, यह माना गया था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम (इसके बाद नियम कहा जाता है) के नियम 17 और 18 अनिवार्य थे, जिनका अनुपालन नहीं किया गया था, क्योंकि यह साबित नहीं हुआ था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय द्वारा भेजे गए नमूने के कंटेनर का कंटेनर किस माध्यम से था और सील के नमूना छाप के साथ-साथ ज्ञापन को अलग से नहीं भेजा गया था। खाद्य निरीक्षक की यह दलील कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट जिसमें यह खुलासा किया गया था कि मेमो और सील की छाप अलग-अलग प्राप्त हुई थी, नियमों का पर्याप्त अनुपालन था। दो अनिवार्य नियमों का पालन

न करने के कारण, आरोपी-प्रतिवादी को बरी कर दिया गया।

(3) राज्य के विद्वान वकील ने बरी किए जाने को चुनौती दी है और तर्क दिया है कि नियम 17 और 18 चरित्र में अनिवार्य नहीं थे और उनका गैर-अनुपालन हमेशा इस धारणा को जन्म नहीं दे सकता है कि आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और लोक विश्लेषक की रिपोर्ट यह दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि नियमों के अनुपालन को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर डाले गए कर्तव्य का निर्वहन किया गया था।

(4) नियम 17 और 18 विशेष रूप से नमूने के कंटेनर को भेजने का तरीका और तरीका और सील की छाप प्रदान करते हैं जिसका उपयोग नमूनों को सील करने के लिए किया जाता है, सार्वजनिक विश्लेषक को। नियम 17 के अनुसार, विश्लेषण के लिए नमूने के कंटेनर को पंजीकृत डाक या रेलवे पार्सल या हवाई माल ढुलाई या एक सीलबंद पैकेट में हाथ से सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा जाना है। फॉर्म VII में ज्ञापन भी उसी पैकेट में बाहरी कवर में भेजा जाना है। नियम 18 में प्रावधान है कि निर्धारित ज्ञापन के साथ नमूने को सील करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली सील की छाप को सार्वजनिक विश्लेषक को अलग से पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए या उसे वितरित किया जाना चाहिए। नियम 18 में विशिष्ट निर्देश का आशय और उद्देश्य, कि सील की छाप नियम 17 में परिकल्पित नमूने वाले सीलबंद पैकेट से अलग भेजी जानी है, विश्लेषण के उद्देश्य से सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा नमूने की प्राप्ति से पहले पारगमन में नमूने के साथ छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त करना है। यदि नमूना और मुहर की छाप एक ही पैकेट में सार्वजनिक विश्लेषक को भेजी जाती है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पैकेट को फिर से खोला जा सकता है और, नमूना बदलने के बाद, नए पैकेट को एक नई सील के साथ सील किया जा सकता है और सील की छाप भी बदली जा सकती है। चूंकि दो नियमों का उद्देश्य मुकदमे से गुजर रहे आरोपी के हितों की रक्षा करना है, व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी

चाहिए ताकि कानून का उद्देश्य और इरादा निराश न हो। नियम 18 में अलग से मुहर की छाप भेजने पर जोर जानबूझकर और एक अच्छा उद्देश्य पूरा करने के लिए है। यह उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रावधानों को अनिवार्य के रूप में व्याख्या किया जाए। मेरी सुविचारित राय में, इन प्रावधानों का इस हद तक अनुपालन अनिवार्य है कि नमूना और मुहर की छाप अलग-अलग पैकेट ोें में भेजी जानी चाहिए।

(5) अगली सामग्री और समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह साबित करने के लिए कौन से सबूत पर्याप्त होने चाहिए कि दो पैकेट संबंधित प्राधिकारी द्वारा भेजे गए थे या सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा अलग-अलग प्राप्त किए गए थे। नियम 7 विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूने के संबंध में सार्वजनिक विश्लेषक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। सार्वजनिक विश्लेषक के कर्तव्यों में से एक नमूना के कंटेनर और बाहरी कवर पर सील की तुलना प्राप्त नमूना छाप के साथ करना है और यह भी देखना है कि कंटेनर के पैकेट पर तय की गई सील बरकरार थी या नहीं। नमूने का विश्लेषण करने के बाद, इस नियम के उप-नियम (3) के तहत, फॉर्म III में इस तरह के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की टीवीजेडओ प्रतियां, खाद्य निरीक्षक को 45 दिनों के भीतर भेजनी होंगी।

नमूने की प्राप्ति। फॉर्म III, जिस पर रिपोर्ट भेजी जानी है, नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट ए में निर्धारित है, और निम्नानुसार पढ़ता है:

प्रपत्र III

[(नियम 7(3) देखें]

सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं ..... सार्वजनिक के लिए विश्लेषक .....विधिवत नियुक्त

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत .....
ए.एम./पी.एम.....
का दिन ..... 19 ..... से .....
का एक नमूना ..... विश्लेषण के लिए ठीक से सील और बांधा गया और मैंने सील को बरकरार और अटूट पाया। नमूने के कंटेनर पर लगाई गई सील खाद्य निरीक्षक द्वारा अलग से भेजी गई सील के नमूना छाप के साथ मेल खाती थी और नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति में था।

मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपरोक्त नमूने का विश्लेषण किया है, और मेरे विश्लेषण के परिणाम को निम्नानुसार घोषित करता हूं:

और मेरी राय है कि

इस पर हस्ताक्षर किए---------- ----------
का दिन----- - ------ -------- 19

(हस्ताक्षर)

सार्वजनिक विश्लेषक

पता — ---------- ---------- —----------

इसके बारीकी से अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक विश्लेषक को विशेष रूप से यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि नमूने के कंटेनर पर तय की गई सील सील के नमूना छाप के साथ मेल खाती है जिसे खाद्य निरीक्षक द्वारा अलग से भेजा गया था और आगे यह कि नमूना विश्लेषण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थिति में था। नियम 7 होना चाहिए

अधिनियम की धारा 13 के साथ पढ़ें। धारा 13 (1) के अनुसार, लोक विश्लेषक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऐसे

रूप में भेजे जो निर्धारित की जा सकती है। इस धारा की उपधारा (5) में प्रावधान है कि ऐसी रिपोर्ट अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में या भारतीय दंड संहिता की धारा 272 से 276 में बताए गए तथ्यों का प्रमाण होगी। इस उप-खंड को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> (5) लोक विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी दस्तावेज, जब तक कि इसे उप-धारा (3) के तहत प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, या केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होने का दावा करने वाला कोई भी दस्तावेज इस अधिनियम के तहत या भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) की किसी भी कार्यवाही में उसमें बताए गए तथ्यों के सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है:
>
> परन्तु कोई भी दस्तावेज जो केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होने का दावा करता है, धारा 16 की उपधारा (1क) के परंतुक में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ के नमूने के भाग के विश्लेषण के संबंध में प्रमाण पत्र न होने का दावा करता है, उसमें बताए गए तथ्यों का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा।
>
> *.खुलासा।*इस धारा में और धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में। 'केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक' में कुछ समय के लिए किसी भी खाद्य प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी शामिल होगा, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सील की नमूना छाप सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा खाद्य निरीक्षक से नमूने के कंटेनर से अलग और स्वतंत्र रूप से प्राप्त की गई थी, तो यह नियम 17 और 18 के तहत परिकल्पित पुनरावृत्ति के संबंध में पर्याप्त सबूत होगा। अभियुक्त प्रतिवादी के वकील की दलील कि लोक विश्लेषक की ऐसी रिपोर्ट के

अलावा, खाद्य निरीक्षक द्वारा कुछ स्वतंत्र साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाने हैं, जो यह दर्शाते हैं कि दो पैकेट भेजे गए थे, नियम 17 और 18 के मंडटोरव प्रावधानों का पालन करने के लिए अधिनियम की धारा 13 (5) में निहित विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए इस पर सहमति नहीं दी जा सकती है। उनका कहना है कि सार्वजनिक विश्लेषक फॉर्म III भरते समय, जो प्रिंट में है, जानबूझकर अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है

इस प्रश्न पर कि क्या मुहर का नमूना प्रभाव वास्तव में अलग से प्राप्त किया गया था और इसलिए, ऐसी रिपोर्ट को नियम 17 और 18 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। लोक विश्लेषक ने निर्धारित प्रपत्र सं 2008 पर अपने हस्ताक्षर करते हुए किसी विशेष नमूने के संबंध में बीमार व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह दो पैकेटों की अलग-अलग प्राप्तियों के साथ-साथ उक्त प्रपत्र में उल्लिखित अन्य मामलों के संबंध में तथ्यों की पुष्टि करे। यह कासिम *कुंजू पुकुंजु और एक अन्य* मामले *में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा आयोजित किया गया था।**केके रामकृष्ण पिल्लई और एक अन्य* **1976 (11) एफ.ए.सी** ने कहा कि यह माना जाना चाहिए कि लोक विश्लेषक ने नियमों के अनुसार काम किया और उन्होंने कंटेनर पर सील के साथ उनके द्वारा प्राप्त नमूना छाप की तुलना की होगी। इस निर्णय का अनुपात लोक विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य सभी मामलों पर समान बल के साथ लागू होगा।

(6) जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, लोक विश्लेषक, एक्जिबिट पीडी की रिपोर्ट में विशेष रूप से यह खुलासा किया गया है कि सील का नमूना छाप खाद्य निरीक्षक से अलग से प्राप्त हुआ था और कंटेनर और नमूने पर लगाई गई सील सील के नमूना छाप के साथ मेल खाती थी और आगे सील बरकरार थी। इसे ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष कि खाद्य निरीक्षक सील की छाप के अलग प्रेषण के संबंध में सबूत जोड़ने में विफल रहा, को उलटना होगा।

(7) आरोपी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने एक अन्य आधार पर बरी करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करने की मांग की और आग्रह किया कि नियम 5 (जे) जो अनिवार्य था, का पालन नहीं किया गया था क्योंकि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को नहीं भेजी गई थी और इसलिए, आरोपी-प्रतिवादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और मामले के विश्लेषण के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन करने के अपने अधिकार से वंचित था। नमूना जो खाद्य निरीक्षक द्वारा उसे दिया गया था।

(8) अधिनियम की योजना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कानून को कानून की किताब में खाद्य पदार्थों में मिलावट की असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी बुराई को खत्म करने के उद्देश्य से लाया गया था जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, छह महीने की अवधि के लिए कारावास की न्यूनतम सजा और 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, जबकि यह प्रमुख है और कानून का मुख्य उद्देश्य, उनकी स्वतंत्रता के बारे में नागरिकों के वैध और उचित हितों को भी अनदेखा नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित प्राधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को दंडित करने की अपनी चिंता और अति-उत्साह में प्राधिकरण का दुरुपयोग न करें, अधिनियम और नियमों में कुछ प्रावधान अधिनियमित किए गए हैं ताकि शक्ति के दुरुपयोग की सभी संभावनाओं को रोका जा सके। धारा 11 (1) (ए) के तहत, खाद्य निरीक्षक को विश्लेषण के लिए भोजन का नमूना लेते समय, उस व्यक्ति को लिखित रूप में एक नोटिस देना होता है, जिससे नमूना लिया जाता है, नमूना विश्लेषण करने के अपने इरादे के बारे में। उप-धारा (3) के तहत, खाद्य निरीक्षक को यह आदेश दिया गया है कि वह "तुरंत कार्य दिवस तक" विश्लेषण के लिए नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को भेजें। नियम 7(3) के तहत, सार्वजनिक विश्लेषक पर यह ड्यूटी लगाई गई है कि वह नमूना प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर विश्लेषण की अपनी रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजे। धारा 13 (2) के तहत, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए यह

अनिवार्य है कि वह उक्त रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को प्रदान करे जिससे उसके खिलाफ अभियोजन की संस्था के बाद नमूना लिया गया था, साथ ही यह जानकारी भी कि अपराधी नमूना प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर अदालत में आवेदन करने का हकदार है। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला (जिसे बाद में प्रयोगशाला कहा जाता है) द्वारा विश्लेषण किए गए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा रखे गए भोजन के लेख की संख्या। यह अभियुक्त को उसकी संतुष्टि के लिए दिया गया एक मूल्यवान अधिकार है कि यदि वह किसी भी तरह से सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट की शुद्धता पर संदेह करता है, तो वह उच्च प्राधिकारी से एक और नमूना परीक्षण कराने का हकदार है। नियम 9 (जे) जिसका उद्देश्य इस अधिकार की रक्षा करना भी है, समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। यह नियम, जैसा कि 13 फरवरी, 1974 से पहले था, खाद्य निरीक्षक द्वारा अपराधी को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का प्रावधान था "जैसे ही अदालत में मामला दायर किया जाता है"। रिपोर्ट की यह प्रति या तो हाथ से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। 13 फरवरी, 1974 को लागू किए गए इस उप-नियम में संशोधन के परिणामस्वरूप, खाद्य निरीक्षक के लिए यह अनिवार्य था कि वह उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अपराधी को यह प्रति प्रदान करे, यदि विश्लेषण अभियुक्त के प्रतिकूल पाया जाता है। यदि संशोधन के बाद धारा 13 (2), और नियम 9 (जे) को एक साथ पढ़ा जाता है, तो कुछ दोहराव प्रतीत होता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान के तहत, रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त को उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू होने के बाद दी जानी थी, लेकिन नियम 9 (जे) के तहत, लोक विश्लेषक से रिपोर्ट प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जानी थी। यदि इन दो प्रावधानों की कड़ाई से व्याख्या की जानी थी

उसी रिपोर्ट की प्रति दो अलग-अलग चरणों में दो बार आरोपी को दी जानी थी। 4 जनवरी, 1977 से, नियम 9 (जे) को हटा दिया गया था और एक नया

नियम, 9-ए लागू किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त को "अभियोजन की स्थापना के तुरंत बाद" अग्रेषित करने के लिए बाध्य था। जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है, नमूना 21 अगस्त, 1975 को लिया गया था। इस प्रकार, नियम 9-ए लागू नहीं होगा और 1974 में संशोधित पुराना नियम 9 (जे) लागू होगा। धारा 13 (1) और (2) और नियम 9 (जे) का अंतर्निहित उद्देश्य स्पष्ट रूप से आरोपी को प्रयोगशाला से दूसरे नमूने का परीक्षण करने का अधिकार प्रदान करना था और इस तरह, खाद्य निरीक्षक और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पर कर्तव्यों को डाला गया था ताकि यह अधिकार निराश न हो। **दिल्ली नगर निगम *बनाम* दिल्ली नगर निगम *घीसा राम* एआईआर 1967 एस.सी**

उनके लॉर्डशिप *यह माना,* –

> "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब अधिनियम की धारा 13 (2) द्वारा विक्रेता को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा दिए गए नमूने का विश्लेषण करने का एक मूल्यवान अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि अभियोजन इस तरह से आगे बढ़ेगा कि उसे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अधिकार मूल्यवान है, क्योंकि निदेशक का प्रमाण पत्र सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान लेता है और इसकी सामग्री के निर्णायक सबूत के रूप में माना जाता है। जाहिर है, विक्रेता को अधिकार दिया गया है कि, उसकी संतुष्टि और उचित बचाव के लिए, वह अपने प्रभार में रखे गए नमूने का विश्लेषण एक बड़े विशेषज्ञ द्वारा करने में सक्षम होना चाहिए, जिसके प्रमाण पत्र को अदालत द्वारा निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना है। ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष के जानबूझकर आचरण के कारण इस अधिकार से इनकार किया जाता है, हमें लगता है कि विक्रेता, अपने मुकदमे में, इतनी गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित नहीं होगा, भले ही वह रिपोर्ट उसमें निहित तथ्यों के मामले में सबूत बनी हुई है।

उपरोक्त मामले में नमूना 20 सितंबर, 1961 को लिया गया था, जिसका वास्तव में लोक विश्लेषक द्वारा 3 अक्टूबर, 1961 को विश्लेषण किया गया था और रिपोर्ट 23 अक्टूबर, 1961 को भेजी गई थी। हालांकि, नगर निगम ने 23 मई, 1962 को अभियोजन शुरू करने और शिकायत दर्ज करने में असामान्य समय लिया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

इस देरी के लिए पेशकश की गई थी। आरोपी के कहने पर प्रयोगशाला में भेजे गए दूसरे नमूने के बारे में, यह बताया गया कि टीएनई का नमूना अत्यधिक विघटित हो गया था और कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। इसलिए, संभव है। नतीजतन, आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। इस बरी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

(9) ***निर्मल सिंह*** **बनाम भारत** ***पंजाब राज्य,*** **1976 चंडीगढ़ लॉ रिपोर्टर (पीबी एंड हर) एल (3-ए) 1969 इलाहाबाद लॉ जर्नल 916।**, कोशल जे, (जैसा कि वह तब था) ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया कि लोक विश्लेषक से आरोपी के प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, एक महीने बाद शिकायत दर्ज की गई थी और आरोपी को समन लगभग एक वर्ष तक तामील नहीं किया गया था। यह माना गया कि आरोपी को धारा 13 (2) के तहत गारंटीकृत उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित किया गया है।

(10) **नेट राम बनाम** ***राज्य*** (3-ए) में, अभियुक्त को बरी कर दिया गया था क्योंकि नमूना लेने के छह महीने बाद उसके खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया था। यह माना गया कि इतने लंबे समय के बाद, आरोपी अपने मूल्यवान अधिकार का लाभ नहीं उठा सका क्योंकि नमूना तब तक विघटित हो गया था।

(11) ***लोक अभियोजक, हैदराबाद*** **बनाम हैदराबाद** ***मुरलीधफिर*** **1977 सीआरपीसी लॉ जर्नल 1634**

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने नियम 9 (जे) के दायरे की व्याख्या की और निम्नानुसार कहा:

> पीठ ने कहा, 'ऊपर जो कहा गया है, उससे हमें यह गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि नियमों के नियम 9 (जे) का पालन नहीं करने के लिए शिकायतकर्ता के मामले को खारिज करने के लिए दस दिनों के ऊपर एक दिन की देरी भी पर्याप्त होगी. बेशक, अगर रिपोर्ट भेजने में कुछ देरी होती है, तो शिकायतकर्ता के मामले को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि आरोपी यह न दिखाए कि इस मामूली देरी से भी उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया था, उसे लोक विश्लेषक की रिपोर्ट भेजने में देरी के संबंध में कोई कठोर और तेज नियम निर्धारित करना संभव नहीं है, हर मामले को इसकी परिस्थितियों पर निर्भर करना होगा। लेकिन जब लोक विश्लेषक की रिपोर्ट शिकायत दर्ज होने तक भी आरोपी को नहीं भेजी गई थी, तो हमारे दिमाग में, ऐसे मामले में, आरोपी को उसके पूर्वाग्रह के बिना बरी किया जा सकता था।

(12) ***महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहनलाल हनुमानदास वैष्णव और एक अन्य*** **1978 एफएजे 183।** *में* नियम 9 (जे) को अनिवार्य माना गया था। उस मामले में, नमूना 29 मई, 1973 को एकत्र किया गया था। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट 13 जुलाई, 1973 को अस्तित्व में आई। इसके बाद भी करीब नौ महीने बाद 11 अप्रैल, 1974 को शिकायत दर्ज की गई और रिपोर्ट की प्रति आरोपी को 28 सितंबर, 1974 को मिली। इन परिस्थितियों में यह माना गया था कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(13) ***भोला नाथ नायक*** **बनाम** ***भारतराज्य और अन्य*** **1977 सी.आर.एल.जे.,** यह माना गया था कि नियम 9 (जे) का इरादा अभियुक्त को अपनी पसंद के विशेषज्ञ द्वारा नमूने की जांच करने का

अवसर देना था। आगे यह माना गया कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति अभियुक्त को देने में साढ़े दस महीने से अधिक की देरी के परिणामस्वरूप उसके बचाव के लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ।

(14) ***नाथी राम* बनाम *हरियाणा राज्य* 1978 पी.एल.आर.** के. एस. तिवाना, जे. ने कहा कि नियम 9 (जे) की व्याख्या धारा 13 (2) के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए और आरोपी को रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति न करने से उसके बचाव के लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ और इस प्रकार नियम 9 (जे) के उल्लंघन से पूरी कार्यवाही खराब हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप आरोपी बरी हो जाएगा।

(15) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23 के अधीन नियम बनाए गए हैं।अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना। इस प्रकार, किसी भी नियम को अलग से और अधिनियम के प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से पढ़ा या व्याख्या नहीं किया जा सकता है। यदि किसी नियम का दायरा अधिनियम के दायरे और प्रावधानों से परे है, तो उसे अधिनियम के *दायरे से बाहर* माना जाएगा। नियम 9 के खंड (जे) को अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उसे दिए गए अधिकारों से स्वतंत्र अभियुक्त को अधिकार प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है। खाद्य निरीक्षक या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पर चाहे वह नियम 9 (जे), या अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत आरोपी को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति करने के लिए लगाया गया कर्तव्य अनिवार्य रूप से धारा 13 (2) के तहत गारंटीकृत अभियुक्त के अधिकार की रक्षा करने के लिए है, ताकि प्रयोगशाला से दूसरे नमूने का विश्लेषण किया जा सके। ऊपरी तौर पर, यह अधिकार है अभियुक्त को रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करना उच्च प्राधिकारी से नमूने का विश्लेषण कराने के उसके मूल अधिकार के लिए सहायक है ताकि लोक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण में किसी भी दोष की सभी संभावना को समाप्त किया जा सके। उपर्युक्त निर्णय का आलोचनात्मक अध्ययन करने से भी यही निष्कर्ष निकलता है और नाथी *टियाम के मामले* (सुप्रा) में के. एस. तिवाना, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार को उचित सम्मान के साथ स्वीकार नहीं किया जा

सकता है।

(16) अगला प्रश्न यह है कि यदि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की जाती है या धारा 13 (2) या नियम 9 (जे) में निर्धारित समय के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो प्रभाव क्या होगा? क्या गैर-अनुपालन इस सवाल पर विचार किए बिना आरोपी को बरी कर देगा कि आरोपी का बचाव इस तरह के गैर-अनुपालन से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था या नहीं? मान लीजिए कि खाद्य निरीक्षक द्वारा लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर अभियुक्त को रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन इसे ग्यारहवें या बारहवें दिन प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अभियुक्त विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए दूसरे नमूने को प्राप्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के अपने अधिकार का उपयोग करना उचित नहीं समझता है। मेरी सुविचारित राय में, चूंकि कानून का इरादा स्पष्ट रूप से दूसरे नमूने का विश्लेषण करने के आरोपी के अधिकार की रक्षा करना है, जब तक कि यह अधिकार कुंठित नहीं होता है और अभियुक्त इस अधिकार का उपयोग करने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम के इस प्रावधान का पालन न करने से आरोपी को कोई पूर्वाग्रह होगा, हालांकि यह प्रकृति में काफी मामूली और तकनीकी हो सकता है। तथापि, यदि उसे रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अवस्था में प्रदान की जाती है जब दूसरा नमूना समय बीत जाने के कारण विघटित हो जाने की संभावना हो और वह प्रयोगशाला द्वारा उचित रूप से विश्लेषित किए जाने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं होगा, या रिपोर्ट की प्रति उसे प्रदान नहीं की जाती है, यह माना जाना चाहिए कि ऐसे मामले में आरोपी का बचाव पूर्वाग्रह से ग्रस्त था, यह तब भी मायने नहीं रखेगा जब आरोपी ने विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन नहीं किया क्योंकि यह निरर्थक अभ्यास होगा। इस तरह से प्रावधानों की व्याख्या करते समय, मुझे यह कहने में गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि नियम 9 (जे) अनिवार्य नहीं है और पूरी तरह से निर्देशिका है ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके गैर-अनुपालन को हल्के में लिया जा सके। यह उचित समय है कि खाद्य निरीक्षक और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिन पर

अधिनियम या नियमों के तहत ड्यूटी लगाई गई है, नमूना लेने के संबंध में कुछ प्रक्रिया का पालन करें,लोक विश्लेषक को भेजे जाने और अभियुक्त को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रतियों की आपूर्ति के लिए इसमें निहित सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और उन्हें किसी भी स्तर पर अपने आचरण से यह आभास नहीं देना चाहिए कि वे आरोपी को बरी करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष बन जाते हैं। उन्हें यह महसूस करना होगा कि उन्हें खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधि के उन्मूलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चालाक कार्य सौंपा गया है जो राष्ट्र के स्वास्थ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और उनकी ओर से किसी भी लापरवाही या कर्तव्य की उपेक्षा के परिणाम बहुत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त कदम उठाए जाएं ताकि अधिनियम या नियमों के तहत किसी भी कार्य को सौंपे गए प्राधिकारियों को इस तरह से पर्याप्त निर्देश और प्रशिक्षण दिया जाए कि वे अधिनियम और नियमों में नवीनतम संशोधनों और न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या के संपर्क में रहें और अच्छी तरह से अवगत रहें ताकि अनुपालन के मामले में न्यायालयों द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया जा सके। (ख) अधिनियम के उपबंधों और नियमों की भविष्य में रिपोर्ट नहीं की जाती है।

(17) वर्तमान मामले में, दूध का नमूना 21 अगस्त, 1975 को खाद्य निरीक्षक द्वारा लिया गया था, और सार्वजनिक विश्लेषक, एक्ज़िबिट पीडी की रिपोर्ट 5 दिसंबर, 1975 को है। रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से यह स्पष्ट नहीं है कि यह रिपोर्ट खाद्य निरीक्षक को कब प्राप्त हुई थी, लेकिन यह मानना उचित है कि यह कुछ दिनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना थी। इसके आधार पर 29 सितंबर, 1975 को शिकायत दर्ज की गई और आरोपी 18 अक्टूबर, 1975 को अदालत में पेश हुआ। खाद्य निरीक्षक का बयान बिल्कुल मौन है कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति आरोपी को कब दी गई। पूछताछ करने पर, राज्य के वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके पास मौजूद रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं था कि खाद्य निरीक्षक ने किसी भी समय आरोपी को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति

प्रस्तुत की थी या नहीं। हालांकि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के लगभग 24 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी समय आरोपी को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया कि जैसे ही आरोपी ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन का पालन करते हुए अदालत में पेश हुआ, आरोपी को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के बारे में पता चल गया होगा, और उसके बाद, यह उसके लिए खुला था कि वह दूसरा नमूना प्राप्त करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।

धारा 13 (2) के तहत परिकल्पित प्रयोगशाला और इस प्रकार अभियुक्त नियम 9 (जे) के गैर-अनुपालन का लाभ नहीं उठा सकता है। धारा 13 (2) के साथ-साथ नियम 9 (जे) के तहत, खाद्य निरीक्षक या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से एक निर्दिष्ट समय के भीतर आरोपी को लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया है। अभियोजन पक्ष केवल इस दलील पर इन प्रावधानों की कठोरता से बाहर नहीं निकल सकता है कि अभियुक्त को लोक विश्लेषक की प्रतिकूल रिपोर्ट की जानकारी होने की संभावना है। ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी कर दिए जाने के बाद, अलग कदम उठाना न्याय के हित में नहीं होगा! इस मामले की परिस्थितियों में देखें जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(18) नतीजतन, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

एस.एस. सिद्धू, जे.-मैं सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा